राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2384/2023

कैलाश चन्द मीना

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. परियोजना निदेशक, राजस्थान गवरमेंट हेल्थ स्कीम, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 08.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :–चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 30.04.2021 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत हो गया (अनुलग्नक–2)। अपीलार्थी की सेवा के संबंध में वसूली आदि के प्रकरण विचाराधीन होने के कारण अपीलार्थी को पेंशन आदि का लाभ समय पर नहीं दिया गया था इसलिए अपीलार्थी की सेवानिवृति के पश्चात आरजीएचएस कार्ड जारी नहीं हुआ था इसलिए उसने पुरानी स्कीम के तहत अपनी मेडिकल डायरी तैयार करवा ली थी। आरजीएचएस कार्ड तैयार नहीं होने से मेडिकल डायरी से इलाज कराने के लिए स्वतंत्र था। मेडिकल डायरी की प्रति अनुलग्नक–3 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी डायबीटीज व अन्य बीमारियों से पीडित था और उसने महात्मा गांधी चिकित्सालय जयपुर में इंडोर पेंसेन्ट के रूप में अपना इलाज करवाया और 43,683/– रूपये के बिल प्रस्तुत किये लेकिन अपीलार्थी को यह बताया गया कि आरजीएचएस स्कीम लागू होने के पश्चात मेडिकल बिलों का कोई भुगतान नहीं किया जाता है, कैशलेस स्कीम के आधार पर भुगतान किया जाता है। अपीलार्थी को फरवरी, 2022 तक पेंशन जारी नहीं हुई थी न ही उसे पीपीओ नंबर जारी हुए इस कारण से उसका आरजीएचएस कार्ड नहीं बना था। अपीलार्थी को फरवरी, 2022 में पीपीओ जारी किया गया। तत्पश्चात फरवरी 2022 के

पश्चात उसका आरजीएचएस कार्ड नंबर जारी हुआ। इससे पूर्व अपीलार्थी का आरजीएचएस कार्ड जारी नहीं हुआ था। इसमें अपीलार्थी की कोई गलती नहीं थी। विभाग द्वारा सेवानिवृति के तुरन्त पश्चात पीपीओ सीपीपी जीपीओ जारी किया जाना चाहिये था। बिना किसी उचित कारण के पेंशन की स्वीकृति दिनांक 24.01.2022 को जारी की गई, लेकिन अपीलार्थी को पेंशन फरवरी, 2022 से जारी की गई। पीपीओ जीपीओ सीपीओ की प्रति अनुलग्नक–4 पर है। अपीलार्थी को उसके पीपीओ सीपीओ जीपीओ सेवानिवृति के 90 दिवस की अवधि में भुगतान किया जाना चाहिये जबकि उसे भुगतान 24–1–2022/फरवरी, 2022 में किया गया। इसलिए अपीलार्थी सेवानिवृति दिनांक 30.04.2021 से भुगतान किये जाने की दिनांक तक राजस्थान पेंशन नियम 1996 के नियम 89 के तहत ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी ने इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर को दिनांक 22.11.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

3. अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जावे तथा अपीलार्थी ने महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर में इण्डोर रोगी के रूप में इलाज करवाया उसका चिकित्सा बिल रूपये 43,983/– का भुगतान मय ब्याज के प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अपीलार्थी को 30.04.2021 से वास्तविक भुगतान की दिनांक तक पेंशन नियम 1996 के नियम 89 के तहत ब्याज दिलाया जावे।

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वित्त विभाग के दिनांक 13.04.2021 (अनुलग्नक–आर/1) द्वारा आजीएचएस पोर्टल पर दिनांक 10.4.2021 से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी थी, जिसके क्रम में अपीलार्थी द्वारा सेवारत रहते हुए आजीएचएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर कार्ड बनाया जाना था, जिससे कि पीपीओ जारी होने तक अपीलार्थी द्वारा उपचार करवाया जा सकता था। परन्तु अपीलार्थी द्वारा कार्ड नहीं बनवाया गया एवं मेडिकल डायरी बाबत वित्त विभाग के आदेश दिनांक 19.08.2021 के अनुसार "यह सुविधा राजस्थान राज्य पैंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना–2021 के अन्तर्गत आरजीएचएस कार्ड धारक पेंशनर्स हेतु भी लागू रहेगी और वे पूर्व की व्यवस्था के अनुसार मेडिकल डायरी के माध्यम से आउटडोर उपचार की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे तथा आउटडोर उपचार पर हुए चिकित्सकीय व्यय का पुनर्भरण पूर्व व्यवस्था के अनुसार ले सकेगें।" के अनुसार तथा वित्त विभाग के आदेश दिनांक 30.09.2021 (अनुलग्नक–आर/2) के बिन्दु संख्या– 5 "दिनांक 01.11.2021 से समस्त कर्मचारी/पेंशनर्स का इनडोर/आउटडोर के उपचार की व्यवस्था सुविधा सिर्फ आरजीएचएस कार्ड के माध्यम से ही प्राप्त कर सकेगें। दिनांक 31.10.2021 के पश्चात् के इनडोर/आउटडोर/उपचार हेतु कर्मचारी/पेंशनर्स

चिकित्सा पुनर्भरण का कोई दावा पूर्व व्यवस्था के अनुसार मान्य नहीं होगा।" अतः उक्त दोनों आदेशो के अनुसार ही आरजीएचएस कार्ड होने पर ही अनुमोदित चिकित्सालय में कैशलेस डे–कयर/आउटडोर/इनडोर प्राप्त किया जा सकता है एवं आरजीएचएस कार्ड होने पर मेडिकल डायरी आउटडोर ईलाज हेतु ही मान्य थी इन्डोर ईलाज हेतु नहीं। कार्ड नहीं बनने के सम्बन्ध में अपीलार्थी ही जिम्मेदार है। महात्मा गांधी चिकित्सालय आरजीएचएस के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2021 से 14.01.2025 तक कैशलेस ईलाज हेतु अनुमोदित है। अतः अपीलार्थी के पुनर्भरण दावा संख्या आरईएम 7880628173839 एवं उपचारित अवधि 03.12.2021 से 07.12.2021 को नियमानुसार आरजीएचएस कैशलेस अनुमोदित अस्पताल में ईलाज करवाये जाने के कारण पुनर्भरण दये नहीं होने से वित्त विभाग के आदेश दिनांक 09.04.2021 के अनुसार निरस्त किया गया है। अतः अपीलार्थी बिल राशि रुपये 43983/– भुगतान मय ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य